राదुविवि में हुई थी वितीय अनियमितता की जांच

करोड़ों का भुगतान, आज तक नहीं हुई कार्यवाही

नवभारत, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में भारी अनियमितताएं की जांच होने के बावजूद भी शासन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंदी पर हैं। विदित है कि उच्च शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार विश्वविद्यालय की लेखा शाखा में रीवा की टीम द्वारा वित्तीय अनियमितता की जांच की गई है। जानकारी के अनुसार समिति ने 18 और 19 दिसंबर को से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में रहकर शिकायत से संबंधित अभिलेखों की जांच और शिकायती बिन्दुओं से संबंधित अभिलेखों की जांच की थी।

रोकड़ बही भी टीम को नहीं कराई थी उपलब्ध

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच टीम को विवि के लेखा शाखा में निर्धारित एमपीएफसी 24 में रोकडबही का, संधारण 2016 से नहीं किया गया। साथ ही जांच समिति को कोई भी रोकड बही उपलब्ध नही कराई गई। इसके अलावा चेक पंजी का संधारण नहीं किया गया। लेखा शाखा द्वारा भुगतान में कोई नियमित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। संपूर्ण कार्य मनमाने एवं स्वयं की इच्छा के साथ किया गया था, जिसको लेकर तत्कालीन वित्त अधिकारी एवं रजिस्ट्रार को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करना था। लेकिन उनके द्वारा कार्यवाही न करना, उनकी मिलीभगत को दर्शाता है। प्रतिवेदन अनुसार इस प्रक्रिया में मार्च 2017 से 5 अक्टूबर 2024 तक पदस्थ रहे कुल सचिव एवं वित्त नियंत्रक सम्मिलित है।

नियमों को ताक पर रखकर किया करोड़ों का भुगतान

जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं की प्रिंटिंग के लिए 25 मार्च 2022 को निविदा जारी की गई जो कि मात्र दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई जो कि न्यूनतम तीन समाचार पत्रों, जिसमें एक राष्ट्रीय दो राज्य स्तरीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जानी थी। जिससे सम्पूर्ण निविदा संदिग्ध हो गई। निविदा के अंतर्गत सम्पूर्ण व्यय और भुगतान में नियमों का उल्लंघन करते हुए करोड़ों रुपए का अनियमित भुगतान किया। इसके अलावा एक ही निविदा पर निरंतर कई वर्षों तक वाहनों का भुगतान किया जाता रहा।

अपराधिक प्रवृति के लोग नहीं हटाए गए

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जांच टीम ने विश्वविद्यालय में अपराधिक प्रकरण दर्ज वाले लोगों को हटाने के लिए आदेशित किया था,परंतु आज भी वह विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पुलिस में दर्ज आपराधिक प्रकरण वाले संजय यादव, राजेद्र प्रसाद कुशवाहा, सुरेश पहाडे शामिल हैं।

ये जांच समिति में थे शामिल

रादुविवि में जांच के लिए डॉ. मुकेश तिवारी, प्राचार्य, इंदिरा गाँधी कन्या महाविद्यालय शहडोल, डॉ. योगेन्द्र तिवारी, शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा, डी.के. मिश्रा, सहायक ग्रेड-2, संजय गाँधी स्मृति महाविद्यालय सीधी, राघवेन्द्र त्रिपाठी, लेखापाल, शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन को सदस्य के रूप में शामिल थे।

इनका कहना है

उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर जांच हुई थी, लेकिन शासन से अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, शासन जो निर्देश हमको देगी उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

प्रो डॉ राजेश कुमार वर्मा
कुलगुरु

फॉरेस्टस अधिकारियों द्वारा रास्ता बंद किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

दूसरा रास्ता लंबा है तो आरक्षित भूमि से रास्ता बनाना कोई आधार नहीं

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने वह जनहित याचिका खारिज कर दी है, जिसमें फॉरेस्टस अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों का रास्ता बंद किये जाने को चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सुनवाई दौरान पाया कि ग्रामीणों को अपनी जमीन तक जाने के लिये एक दूसरा रास्ता है और जो रास्ता बंद किया गया है वह आरक्षित वन भूमि से होकर गुजरता है। जिसके बाद न्यायालय ने वन अधिकारियों की कार्यवाही को उचित करार देते हुए दायर याचिका खारिज कर दी।

यह जनहित याचिका कटनी जिले के पिपरोध के ग्राम लाखापेटी निवासी इत्तूराम विश्वकर्मा की ओर से दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि डिवीजन फॉरेस्ट अधिकारी व फारेस्ट रेंजर कटनी ने ग्रामीणों के आने-जाने का रास्ता बंद कर दिया है।

जिससे वह अपनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रहे है। मामले की सुनवाई दौरान न्यायालय को अवगत कराया गया कि जिस रास्ते को बंद किया गया है वह आरक्षित वन भूमि से होकर गुजरता है। ग्रामीणों को अपनी जमीन तक पहुंचने के लिये दूसरी ओर से एक अन्य रास्ता है, जो कि लंबा है, लेकिन उससे ग्रामीण जन अपनी जमीन तक पहुंच सकते है। सुनवाई दौरान न्यायालय ने पाया कि मामला यह नहीं है कि ग्रामीण अपनी जमीन में पहुंचने में असमर्थ है, एक मात्र आधार यह है कि उन्हें अपने खेतों तक पहुंचने के लिये लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जो कि कोई आधार नहीं है कि आरक्षित व संरक्षित भूमि से रास्ता बनाया जाये। उक्त मत के साथ न्यायालय ने फॉरेस्टस अधिकारियों की कार्यवाही को सही ठहराते हुए दायर याचिका खारिज कर दी।

भाजयुमो नेता मानव घनघोरिया की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश शबनम कादिर मंसूरी की अदालत ने प्राणघातक हमले के आरोपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता मानव घनघोरिया की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष पांडे व राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद जैन ने जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि संचार नगर दीनदयाल चौक निवासी गौरव बाजपेयी अपनी पत्नी के साथ घर के सामने दुकान पर बैठे थे। तभी आरोपी कार पर सवार होकर पांच छह साथियों के साथ आया। गौरव को फुटपाथ पर बुलाकर 20 हजार की मांग की। मांग पूरी न करने पर चाकू से हमला कर दिया। जान से खत्म करने की चेतावनी दी। घायल को अस्पताल ले जाया गया। साथ ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गिरफ्तारी की आशंका से आरोपी ने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है, जो मामले की गंभीरता के कारण निरस्त करने योग्य है।

गांधी मेडिकल कालेज की अवैध भर्तियां निरस्त

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने गांधी मेडिकल कालेज भोपाल में हुई नितिन अग्रवाल सहित अन्य की अवैध नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने मेडिकल कालेज के पूर्व डीन सलिल भार्गव पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया है। मामला योग्य आवेदक को नौकरी से वंचित करने व फर्जी शपथ पत्र पेश करने से संबंधित है। न्यायालयने भार्गव की सेवानिवृत्ति की आयु के मद्देनजर रियायत देते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी करने के स्थान पर महज जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। दरअसल, भोपाल निवासी मनोहर सिंह को गांधी मेडिकल कालेज में अस्पताल प्रबंधक, सहायक प्रबंधक व डिप्टी रजिस्ट्रार की नौकरी से अयोग्य करार देते हुए वंचित कर दिया गया। जिसके विरुद्ध पहले अभ्यावेदन दिया गया। जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हाईकोर्ट की शरण ली गई। दायर याचिका में कहा गया कि पहले डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए पात्र माना गया लेकिन बाद में अस्पताल प्रबंधक व सहायक प्रबंधक पद के लिए अयोग्य करार दे दिय गया।

10 साल से जमे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आखिरकार चल गया बुल्डोजर

नवभारत ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी खबर

स्थानीय रहवासियों ने नवभारत, निगमायुक्त के प्रति जताया आभार

नवभारत,जबलपुर। भूकंप कॉलोनी से धनवंतरी नगर, गजरथ नगर महाराणा प्रताप वार्ड की मुख्य सड़क में बीते 10 सालों से अवैध निर्माण के कब्जे पर आखिरकार शुक्रवार को नगर निगम का बुल्डोजर चल ही गया। निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई शुक्रवार सुबह शुरू की जिसके बाद स्थानीय रहवासियों में खुशी की लहर झूम उठी। जानकारी के अनुसार लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इस मार्ग पर सड़क निर्माण की स्वीकृति भी दे दी थी जिसके टेंडर भी जारी किए गए थे। गौरतलब है कि नवभारत ने विगत 14 जुलाई को लोक निर्माण मंत्री की स्वीकृति वाली सड़क पर कर दिया कब्जा के शीर्षक की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी जिस पर निगमायुक्त प्रीति यादव ने संज्ञान लिया और फिर अतिक्रमण दस्ते ने पूरी कार्रवाई को शुक्रवार को अंजाम दे दिया। महाराणा प्रताप वार्ड की भूकंप कॉलोनी के मकान नंबर एलआईजी 190, पानी की टंकी के आसपास रहने वाले कमलेश झारिया, राजेश नाग, प्रियंका उपाध्याय, पूजा शर्मा, आशुतोष मिश्रा, अमित मिश्रा, निशा खान, राजेंद्र खरे, रामलखन सोनी सहित अन्य ने नवभारत के प्रति आभार व्यक्त किया है। साथ ही इन्होनें नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। जिनके मार्गदर्शन में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

20 फीट मुख्य सड़क पर किया था कब्जा

स्थानीय रहवासी राजेश नाग, प्रियंका उपाध्याय, पूजा शर्मा, आशुतोष मिश्रा सहित अन्य ने नवभारत से कहा कि महाराणा प्रताप वार्ड नंबर 16 पानी की टंकी के पास ,मकान नंबर एलआईजी 190 , भूकंप कॉलोनी निवासी किरण झारिया, सीडी झारिया ने बीते 10 सालों से सरकारी जमीन के मुख्य मार्ग में करीब 20 फीट पर अवैध अतिक्रमण कर रखा था। जिस कारण वहां से गुजरना मुश्किल हो गया था और बारिश में हाल बदहाल हो जाते थे। लेकिन अब अवैध अतिक्रमण को कब्जामुक्त करा दिया गया है

19 फरवरी को सड़क निर्माण का जारी हुआ था टेंडर

स्थानीय रहवासियों की माने तो विगत 19 फरवरी 2025 को ई टेंडर भी भूकंप कॉलोनी की इस सड़क का जारी किया गया था। जिस ठेके की अनुमानित राशि 269.31 लाख रुपए थी। जारी टेंडर के अनुसार यश किराना से भूकंप कॉलोनी मार्ग, आई टाइप कॉलोनी से गजरथ कॉलोनी मार्ग महाराणा प्रताप वार्ड की सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समयावधि 15 महीने रखी गई थी। विदित हो कि लोक निर्माण मंत्री ने यह सड़क स्वीकृत की थी, इसके बाद टेंडर जारी हुए थे।

गढ़ा बाज़ार से हटाये गये अतिक्रमण

जबलपुर, नवभारत। शहर में अवैध अतिक्रमणों पर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे गढ़ा बजरिया क्षेत्र में नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने दो दुकानों द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, उक्त दुकानदारों को पहले ही नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी। तय समयावधि में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान निगम की टीम के साथ सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस बल भी मौजूद रहा। अधिकारियों का कहना है कि शहर में स्वच्छ और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

12 से मदन महल से चलेगी जनशताब्दी

जबलपुर, नवभारत। रेल प्रशासन द्वारा परिचालनीय जरुरत एवं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेल से प्रारम्भ होने वाली गाड़ी संख्या 12062/61 जबलपुर-रानी कमलापति-जबलपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस के प्रस्थान गंतब्य स्टेशनों में संशोधन किया गया है। जनशताब्दी एक्सप्रेस अब जबलपुर की बजाय मदन महल से ओरजिनेट टर्मिनेट होगी यानी मदन महल-रानी कमलापति-मदन महल के मध्य संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी छात्राएं

नर्सिंग पास होने के बाद नियुक्ति की मांग

नवभारत,जबलपुर। प्रदेश भर में शासकीय कॉलेजो से नर्सिंग की परीक्षा पास कर चुकी छात्राएं अपनी नियुक्ति के लिए 2 साल से संघर्ष कर रही है पर जिम्मेदारों द्वारा सिर्फ आश्वासन व झूठे वादों के शिवाय कुछ नही दिया गया। जिसके चलते मजबूरन छात्राओं ने आज नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल हॉस्पिटल डीन कार्यालय के बाहर अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्राओं का कहना ह जब तक सरकार व हॉस्पिटल प्रबंधन के जिम्मेदार लोग हमारी बात नही मान लेते तब तक ये हड़ताल नही रुकेगी, साथ ही युवा कांग्रेस ने छात्राओं की हड़ताल को अपना समर्थन देते हुए नगर अध्यक्ष विजय रजक ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मेडिकल डीन इस विषय मे उचित कदम नही उठाते हैं तो सरकार व प्रशासन के खिलाफ सड़को में उतर कर उचित आंदोलन किये जायेंगे। इस मौके पर बीएससी नर्सिंग की मनीषा, संजना, स्वेता, किरन, अंकिता, सुधा, रुचि, प्रियंका, नेहा, श्रद्धा ने भूँख हड़ताल शुरू की है समर्थन में युवा कांग्रेस के विजय रजक, सचिन रजक, नीलेश महार, शुभम रजक, सुमित गुप्ता, मोहित सुफेले, विनय पटेल, प्रतीक चौकसे, आयुष तिवारी आदि उपस्थित थे।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57